



सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 02.10.2026

- थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा पशु चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।
- अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी भैंसों को बेचने से प्राप्त धनराशि ₹ 1,05,000/- नगद , 01 देशी तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन बरामद ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में चोरी की घटना की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 27.09.2026 को थाना मंगलपुर पर वादी श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम बहेरा, थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर बावत दिनांक 25/26.09.2026 की रात्रि को उसके घर के बाहर बंधी 03 भैंसों को अभियुक्तगण 1. बसीम पुत्र सलीम उर्फ चिरंटन निवासी ग्राम भंदेमऊ थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात 2. बसीम अकरम उर्फ गांठी पुत्र असलम निवासी थाना सिकंदरा, जनपद कानपुर देहात 3.खिल्लन पुत्र अज्ञात निवासी खजुरी थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा चोरी कर ले जाने सम्बन्ध में दी गयी । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 321/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना अभियुक्तगण 1. गुड्डू उर्फ गुड्डन पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम खानपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया, 2. गुड्डन उर्फ इकरार पुत्र स्व0 रहीम बकश निवासी शास्त्रीनगर दिबियापुर, थाना दिबियापुर जनपद औरैया, 3. काला बच्चा उर्फ नौसाद पुत्र लुकमान निवासी खानपुर जनपद औरैया का नाम प्रकाश में आया । थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए मुखबिरखास की सूचना पर अभियुक्तगण 1. गुड्डू उर्फ गुड्डन पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम खानपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया, 2. गुड्डन उर्फ इकरार पुत्र स्व0 रहीम बकश निवासी शास्त्रीनगर, दिबियापुर थाना दिबियापुर, जनपद औरैया, 3. वसीम पुत्र सलीम उर्फ चिरंटन निवासी ग्राम भंदेमऊ थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को थाना मंगलपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम भन्देमऊ जाने वाले तिराहे से दिनांक 02.10.2026 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण की जामा तलाशी से चोरी की गयी भैंसों को बेचने से प्राप्त धनराशि ₹1,05,000/- नगद, 01 देशी तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त पिकअप बरामद हुआ । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

पूछताछ अभियुक्तगण- अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 25/26.09.2026 की रात्रि में हम तीनों लोगों ने ग्राम बहेरा से अपने साथी काला बच्चा उर्फ नौशाद के साथ मिलकर तीन भैंसों चोरी की थीं, जिन्हें हम लोगों ने अपनी पिकअप गाड़ी में लादकर दलाल को बेच दिया था। जो रुपये मिले थे हम चारों लोगो ने बराबर बांट लिये थे। काला बच्चा उर्फ नौशाद अपने हिस्से के रुपये लेकर चला गया था। आज हम लोग वसीम को छोड़ने उसके घर जा रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। जो रुपये हम तीनों से बरामद हुए हैं, वह चोरी की भैंसों को बेचने से प्राप्त शेष रुपये हैं, कुछ रुपये खाने-पीने व पिकअप में डीजल डलवाने में खर्च हो गये हैं। अभियुक्त वसीम से बरामद अवैध तमंचा कारतूस के सम्बन्ध में बताया गया कि यह तमंचा व कारतूस हम लोग डराने व धमकाने के लिये अपने पास रखते हैं।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. गुड्डू उर्फ गुड्डन पुत्र निजामुद्दीन उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम खानपुर, थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया।

2. गुड्डन उर्फ इकरार पुत्र स्व० रहीम बक्श उम्र करीब 26 साल निवासी शास्त्री नगर दिबियापुर थाना दिबियापुर जनपद औरैया।
3. वसीम पुत्र सलीम उर्फ चिरंटन उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम भंदेमऊ थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त गुड्डन उर्फ गुड्डन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स० 0372/2016 धारा 3/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद औरैया।
2. मु०अ०स० 459/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद औरैया।
3. मु०अ०स० 73/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद औरैया।
4. मु०अ०स० 321/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त गुड्डन उर्फ इकरार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स० 103/15 धारा 395/397/412/120बी भादवि० थाना दिबियापुर जनपद औरैया।
2. मु०अ०स० 597/15 धारा 392/411 भादवि० थाना दिबियापुर जनपद औरैया।
3. मु०अ०स० 181/16 धारा 3/4 उ०प्र० गुंडा नियंत्रण अधिनियम थाना दिबियापुर जनपद औरैया।
4. मु०अ०स० 244/17 धारा 147/148/149/307/506 भादवि० थाना दिबियापुर जनपद औरैया।
5. मु०अ०स० 394/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दिबियापुर जनपद औरैया।
6. मु०अ०स० 633/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दिबियापुर जनपद औरैया।
7. मु०अ०स० 570/16 धारा 323/394/506 भादवि० थाना कोतवाली तिर्वा जनपद कन्नौज।
8. मु०अ०स० 824/17 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली तिर्वा जनपद कन्नौज।
9. मु०अ०स० 17/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना रेंडर जनपद जालौन।
10. मु०अ०स० 16/19 धारा 401 भादवि० थाना रेंडर जनपद जालौन।
11. मु०अ०स० 321/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त वसीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स० 321/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. जामा तलाशी से चोरी की गयी भैंसों को बेचने से प्राप्त धनराशि ₹ 1,05,000/- नगद।
2. 01 देशी तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3. घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन नं० UP79BT1909।

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री मिलन सिरोही,
2. उ०नि० श्री सुनील कुमार सिसौदिया,
3. रि०कां० 674 भीम सिंह,
4. रि०कां० 924 कुमरपाल,
5. रि०का 1317 नरेन्द्र सिंह,
6. रि०कां० 855 विश्वप्रताप,
7. रि०कां० 987 आलोक कुमार।